

25/06/25

20.8
कमला अलारिया, सदस्य
सं. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

कमील अपीलान व अपीलान
को बार-बार रुक-रुक कर आपाज
लगावई जाई। बावजूद आपाज को
उपस्थित नही। अतः पत्रावली अडम हाजरी
व अडम पैरवी में खारिज किया जाली
६। पत्रावली बाद कार्यवाही कारिबल
दफ्तर हो।
आदेश. खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

सदस्य
शिव प्रसाद सिंह
सदस्य

सदस्य
शिव प्रसाद सिंह
सदस्य